

.....
वैवाहिक प्रकरण संख्या

सन् 2009

.....

..... पुत्र श्री आयु वयस्क

जाति निवासी

....., जिला—(राज०)

.....प्रार्थी

एवं

श्रीमतीपत्नी श्री

.....आयु वयस्क जातिनिवासी

....., जिला— (राज०)

.....अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

महोदय,

हम उपरोक्त नामांकित प्रार्थीगण सम्मिलित रूप से आपसी सहमति से निम्नलिखित विनम्र निवेदन करते हैं :-

1. यह कि प्रार्थीगण परस्पर पति पत्नी हैं तथा हिन्दू धर्म का पालन करने वाले हैं। प्रार्थीगणों का विवाह ब्यावर जिला— अजमेर में दिनांक : 19/11/1995 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी द्वारा सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीगण हिन्दू विवाह अधिनियम से शासित हैं।
2. यह कि प्रार्थीगण अपने विवाह के पश्चात्, दाम्पत्य जीवन को व्ययीत करते हुए, दिनांक : 19/11/1995 से 1/01/2007 तक एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहे, उक्त विवाह से प्रार्थीगण के दो संताने उत्पन्न हुई जिनके की नाम निम्नलिखित हैं (क) यश कुमावत उम्र 11 वर्ष, (ख) गौरव कुमावत उम्र 9 वर्ष जो कि अविवादित रूप से व प्रार्थीगण की आपसी सहमति से प्रार्थी के पास रह रहे हैं व रहेगे।

3. यह कि प्रार्थीगणों का विवाह होने के पश्चात्, कुछ ही समय में, प्रार्थीगणों के अपने अपने स्वभाव एवं व्यवहार के कारण, हम पति पत्नी के मध्य, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से दूरियां कायम होने लगी। हमारे विचारों, मतों एवं छोटे छोटे निर्णयों में विरोधभास उजागर होने लगा और हमारे दाम्पत्य जीवन में, एक अनजानी कटुता एवं कड़वाहट ने जन्म ले लिया। हमने एक दूसरे को समझने एवं समझाने के सभी व्यवहारिक प्रयत्न किये, लेकिन फिर भी हमारे रिश्तों में वो मधुरता, अपनापन एवं सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो पाया, जो एक दम्पती में होता है।
4. यह कि उक्त कथनों के अनुसार हम पति पत्नी दिनांक : 19/11/1995 से 1/01/2007 तक ब्यावर में साथ साथ, समाज की नजरो में पति पत्नी बनकर जरूर रहें लेकिन मन एवं आत्मीयता के दृष्टीकोण से हम साथ साथ नहीं थे। परिस्थितियोंवश प्रार्थीया पत्नी, अपने माता पिता के साथ दिनांक : 1/01/2007 को अपने जेवर, कपड़ों एवं आवश्यक सामान को लेकर पीहर चली गई और आज दिवस तक हम प्रार्थीगण, स्वयं के आपने माता पिता व रिश्तेदारों के किये गये समझौजते के समस्त असफल प्रयासों के बावजूद भी हम दिनांक : 1/01/2007 से आजतक दाम्पत्य जीवन को एक दिन भी व्यतीत नहीं कर सके हैं और न ही प्रार्थीगण इस दौरान हम – बिस्तर हुए हुए है।
5. यह कि उक्त कथनों के आधार पर हमारे वैचारिक मतभेदों, विरोधाभासी स्वभावों, अनचाहे व्यवहारों तथा समझाईशों की असफलता को ध्यान में रखकर, हम प्रार्थीगणों ने काफी सोचविचार करके , हर पहलू पर मनन करके तथा अपनी उम्र एवं भविष्य को ध्यान में रखकर , आपस में एकमत होकर, यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हम प्रार्थीगण, कानूनी कार्यवाही को पूरा करके "सहमतिपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद" कर लें और सक्षम न्यायालय से इससे सम्बंधित कानूनी निर्णय एवं आज्ञाप्ति प्राप्त कर लें। इसलिए प्रार्थीगण ने, बिना किसी डर, दबाव एवं बहकावे के जो उक्त वर्णित निर्णय लिया है उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत, यह याचिका, श्रीमान न्यायालय के समक्ष आज दिवस प्रस्तुत की है और हम सद्भावनापूर्वक एवं स्वेच्छापूर्वक चाहते हैं कि प्रार्थीगणों को कानूनी रूप से सहमतिपूर्वक विवाह सम्बंध विच्छेद आज्ञाप्ति व निर्णय प्राप्त हो जाये , क्योंकि हमारे लिये, पति पत्नी के रिश्ते को निभाना एवं कायम रखना नामुमकिन एवं दुश्वार हो गया है।
6. यह कि प्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई प्रकरण भारत के अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।
7. यह कि "सहमतिपूर्वक विवाह सम्बन्ध विच्छेद" लेने के प्रार्थीगणों के फैसले के अंतर्गत हम पति पत्नी के मध्य यह सहमति व निर्णय, स्वेच्छापूर्वक लिया गया है कि प्रार्थी पति दीपक कुमावत प्रार्थीया पत्नी श्रीमती तीज कंवर उर्फ नेहा को किसी प्रकार का कोई जीवन निर्वाह भत्ता नहीं देगा न ही प्रार्थीया उक्त की मांग प्रार्थी से करेगी। प्रार्थीगण

के विवाह से उत्पन्न दोनो सन्तान प्रार्थी के पास रहेगे जिनके की लालन पालन पोषण समस्त की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।

8. यह कि हम प्रार्थीगणों का जो भी सामान जेवर, कपडा, दान दहेज व स्त्रीधन आदि एक दूसरे के पास था आपस में सहमतिपूर्वक अपना अपना प्राप्त कर लिया है अब प्रार्थीगणों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा हैं। भविष्य में हम प्रार्थीगण एक दूसरे के एवं दूसरे पक्ष के पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही, अमानत में खयानत, धोखाधडी, मानहानि, जीवन निर्वाह भत्ता, दहेज प्रताडना के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय एवं पुलिस विभाग में नहीं करेंगे।
9. यह कि प्रार्थीगणों का सहमति पूर्वक विवाह विच्छेद, हो जाने के पश्चात्, हम दोनों प्रार्थीगण एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे तथा अन्य किसी से अपना विवाह कर सकेंगे।
10. यह कि प्रार्थीगणों के लिए यह याचिका प्रस्तुत करने का वाद कारण, पति पत्नी के रूप में साथ रहने के दौरान, उत्पन्न हुए आपसी वैचारिक मतभेद होने पर एवं 1/01/2007 से निरन्तर हमारे मध्य दाम्पत्य सम्बंध स्थापित नहीं होने एवं प्रार्थीगणों के निरन्तर अलग रहने के कारण उत्पन्न हुआ व होता रहा है।
11. यह कि प्रार्थीगणों का विवाह ब्यावर, जिला अजमेर में सम्पन्न होने एवं अन्तिम बार प्रार्थीगणों के ब्यावर में ही साथ साथ रहने के कारण, माननीय न्यायालय को यह याचिका सूनने का पूर्णतया क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
12. यह कि प्रार्थीगणों ने "सहमतिपूर्वक विवाह सम्बंध विच्छेद" की आज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु यह याचिका, अपनी पूर्ण स्वेच्छा एवं सहमति से बिना किसी डर या दबाव के अपने अपने हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर करके न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।
13. यह कि इस याचिका को प्रस्तुत करने के पीछे, हम प्रार्थीगणों के मध्य किसी भी प्रकार की दुर्भिसंधि नहीं हुई।
14. यह कि इस याचिका के लिए नियमानुसार पूर्णरूप से हमारे द्वारा न्यायाशुल्क अदा कर दिया गया है।

अतः माननीय न्यायालय से नम्र निवेदन है कि उक्त कथनो एवं वर्णित परिस्थितियों के आधार पर दिनांक : 19/11/1995 को सम्पन्न हुए प्रार्थीगणों के विवाह को विघटित करके "सहमतिपूर्वक विवाह सम्बंध विच्छेद" की प्रार्थीगणों के पक्ष में आज्ञाप्ति एवं निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अजमेर

दिनांक :

.....

.....

प्रार्थीगण

सत्यापन

हम उपरोक्त नामांकित प्रार्थीगण यह सत्यापित करते हैं कि इस याचिका में वर्णित उपरोक्त कथित समस्त कथन हमारी निजी ज्ञान एवं कानूनी सलाह के आधीर पर सही एवं सत्य हैं।

अजमेर

दिनांक :

.....

.....

प्रार्थीगण

Rohit Chhabra 9928110336

न्यायालय श्रीमान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अजमेर (राज०)

.....

वैवाहिक प्रकरण संख्या

सन् 2009

.....

श्री

बनाम

श्रीमती

शपथ पत्र

श्री पुत्र श्री आयु वयस्क जाति निवासी
....., जिला- (राज०) बमूकाम शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

- 1 यह कि मैंने आज माननीय न्यायालय मे एक सहमतिपूर्वक विवाह सम्बंध विच्छेद याचिका प्रस्तुत की हैं।
- 2 यह कि उक्त याचिका मेरे ही आदेशानुसार मेरे अभिभाषक द्वारा तैयार किया गया हैं कि जिसे तैयार होने के बाद मैंने सुन व समझ लिया हैं।
- 3 यह कि उक्त याचिका में अंकित किये गये समस्त तथ्यात्मक कथन मेरी जानकारी में सही व सच्चे हैं। विधिक कथन मेरे अभिभाषक की विधिक सलाह पर आधारित हैं कि जिन्हे मैं सही होने का यकिन करता हूँ।
- 4 यह कि उक्त याचिका में अंकित किये गये कथनो को इस शपथ पत्र का अंग माना जाकर इसके भाग स्वरूप पढ़ा जावे।

दिनांक :-

अजमेर

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं पुत्र श्री जी आयु वयस्क उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 के कथन मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है।

दिनांक :-

अजमेर

हस्ताक्षर सत्यापितकर्ता

S.No. _____ Date _____ Time _____
Sworn before me by Shri _____
S/o Shri _____
Resident of _____
Who is identified by _____
Or personally known to me.

Oath Commisioner

न्यायालय श्रीमान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अजमेर (राज०)

.....

वैवाहिक प्रकरण संख्या

सन् 2009

.....

श्री

बनाम

श्रीमती

शपथ पत्र

श्रीमती पत्नी श्री आयु वयस्क जाति निवासी
....., जिला-(राज०) बमूकाम ब्यावर शपथ पूर्वक बयान
करती हूँ कि :-

- 1 यह कि मैंने आज माननीय न्यायालय मे एक सहमतिपूर्वक विवाह सम्बंध विच्छेद याचिका प्रस्तुत की हैं।
- 2 यह कि उक्त याचिका मेरे ही आदेशानुसार मेरे अभिभाषक द्वारा तैयार किया गया हैं कि जिसे तैयार होने के बाद मैंने सुन व समझ लिया हैं।
- 3 यह कि उक्त याचिका में अंकित किये गये समस्त तथ्यात्मक कथन मेरी जानकारी में सही व सच्चे हैं। विधिक कथन मेरे अभिभाषक की विधिक सलाह पर आधारित हैं कि जिन्हे में सही होने का यकिन करती हूँ।
- 4 यह कि उक्त याचिका में अंकित किये गये कथनो को इस शपथ पत्र का अंग माना जाकर इसके भाग स्वरूप पढ़ा जावे।

दिनांक :-

अजमेर

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं श्रीमती पत्नी श्री आयु वयस्क उपरोक्त शपथकर्ता
सत्यापित करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 के कथन मेरे निजी
ज्ञान से सही एवं सत्य है ।

दिनांक :-

अजमेर

हस्ताक्षर सत्यापितकर्ता

S.No. _____	Date _____	Time _____
Sworn before me by Shri _____		
S/o Shri _____		
Resident of _____		
Who is identified by _____		
Or personally known to me.		
Oath Commisioner		